<u>कार्यालय–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मैनपुरी।</u>

<u>विज्ञप्ति</u>

माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जनपद न्यायालय, मैनपुरी स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब, असहाय तथा लावारिस बच्चों तथा जरूरतमंद पुरूषों व महिलाओं की विधिक सहायता एवं मुकदमों की पैरवी करने हेतु 20 अधिवक्ताओं का पैनल गठित किया जाना है, जो कि निःशुल्क अपनी सेवाएं उपरोक्त व्यक्तियों को प्रदान करेंगे। इस नामित पैनल के अधिवक्ता की फीस उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानक के देय पर आधारित होगी।

उक्त पद हेतु ऐसे विधि व्यवसायी जिनका बार में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो, **आवेदन कर सकते हैं।**

नामित अधिवक्ता पैनल हेतु इच्छुक अधिवक्ता अपना सम्पूर्ण विवरण जैसे नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, जन्मतिथि, एडवोकेट पंजीकरण संख्या व अनुभव मय सम्बन्धित प्रपत्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सीधे अथवा डाक द्वारा उ0प्र0बार एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष/महासचिव से संस्तुति करवाने के पश्चात् प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की **<u>अन्तिम तिथि दिनांक 17.05.2025</u>** है। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी परिसर, जनपद मैनपुरी के कार्यालय में सम्पर्क करें।

दिनांक–08.05.2025

(कमल सिंह)
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मैनपुरी।